उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
CIN:U32201UP1999SGC024928

स्पीड पोस्ट

संख्या–2063–कार्य/चौदह–पाकालि/2024–8(1)–के/2024 दिनांकः 25 अक्टूबर, 2024

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वान्चल/मध्यांचल/दक्षिणान्चल/
पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, केस्को
वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ, कानपुर।

विषय : मेसर्स स्टर्लिंग टेक्नोलॉजिज एण्ड सर्विसस #3जी, एस0वी0एम प्लाजा, पद्मावतिपुरम तिरूपति, आन्ध्र प्रदेश को 03 वर्ष तक के लिए blacklist किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक पू0वि0वि0नि0लि0, वाराणसी के कार्यालय ज्ञाप सं0–2788/पूविविनिलि(वा)/वाणिज्य/बिलिंग दिनांक 01.10.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मेसर्स स्टर्लिंग टेक्नोलॉजिज एण्ड सर्विसस #3जी, एस0वी0एम प्लाजा, पद्मावतिपुरम तिरूपति, आन्ध्र प्रदेश को 03 वर्ष तक के लिए काली सूची में डाले जाने का आदेश निर्गत किया गया है।

उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप की छायाप्रति प्रेषित करते हुए मुझे यह अनुरोध करने का निर्देश हुआ है कि कृपया उक्त प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए तद्नुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(फैसल खान)
उप सचिव (कार्य)

संख्या–2063–(I)–कार्य/चौदह–पाकालि/2024 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष के निजी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 रिन्यूएबल एवं ई0वी0 इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0/उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को वेबसाइट–www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

संलग्नकः–यथोपरि।

(फैसल खान)
उप सचिव (कार्य)

संख्या–2063 (II)–कार्य/चौदह–पाकालि/2024 तद्‌दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवयश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, असम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, बिजली भवन, पलटन बाजार, गुवाहाटी–781001,
2. अध्यक्ष, गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, विद्युत भवन, रेस कोर्स, बड़ोदा–390007,
3. अध्यक्ष, केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, विद्युत भवन, पैटर्न, तिरूवनन्तपुरम–695001,
4. सचिव, तमिलनाडु स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, एन0पी0के0पी0आर0, मल्लीगल, 800ए, अन्ना सलाई, चेन्नई–600002,
5. सचिव, हिमॉचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, विद्युत भवन, शिमला (एच0पी0)–171004,
6. सचिव, मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, शक्ति भवन, विद्युत नगर, जबलपुर–432008,
7. अध्यक्ष, महाराष्ट्रा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, 4 तल, बांद्रा ईस्ट, मुम्बई–400051,
8. सचिव, मेघालय स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, लूम जिंगशाल, राउण्ड रोड, सिलाँग–793001,
9. अध्यक्ष, झाड़खण्ड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इन्जिनियरिंग बिल्डिंग, एच0ई0सी0 धुर्वा, राँची–834004,
10. अध्यक्ष, वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, विद्युत भवन, 7वाँ तल, बिधान नगर, कलकत्ता–700091,
11. प्रबन्ध निदेशक, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग क0 लि0, विद्युत सेवा भवन, डंगनिया, रायपुर–492013,
12. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, आन्ध्र प्रदेश पावर जनरेशन कारपोरेशन लि0, विद्युत सौधा, हैदराबाद–500082,
13. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, आन्ध्र प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, हैदराबाद–500049,
14. प्रबन्ध निदेशक, हरियाणा विद्युत पारेषण निगम लि0, शक्ति भवन, सेक्टर–06, पंचकुला, हरियाणा–134109,
15. अध्यक्ष, उ0 दिल्ली पावर लि0, ग्रिड सब–स्टेशन बिल्डिंग, हरसंन लाइन, किंगस् वे कैम्प, नई दिल्ली–110009,
16. अध्यक्ष, दिल्ली ट्रॉंसमिशन लि0, शक्ति सदन, कोटा रोड, नई दिल्ली–110002,
17. अध्यक्ष, उड़ीसा हाईड्रो पावर कारपोरेशन लि0, भुवनेश्वर–751001,
18. प्रबन्ध निदेशक, कर्नाटक पावर जेनेरेशन कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन, 82–रेस कोस रोड, बैंगलौर–500001,
19. प्रबन्ध निदेशक, गुजरात स्टेट एनर्जी जेनरेशन लि0, ब्लाक–5, 3 तल, उद्योग भवन, सेक्टर–11, गाँधीनगर–382001, (गुजरात)।
20. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, ग्रिड कारपोरेशन ऑफ उड़ीसा लि0, जनपद, भुवनेश्वर–751001,
21. अध्यक्ष, जोधपुर विद्युत निगम लि0, न्यू पावर हाउस, इन्डस्ट्रियल एरिया, जोधपुर, राजस्थान।
22. अध्यक्ष, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0, विद्युत भवन, न्यू विधान सभा मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
23. अध्यक्ष, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बार्ड, विद्युत भवन, विद्युत मार्ग, जयपुर–337001,
24. प्रबन्ध निदेशक, वेस्ट बंगाल रूरल एनर्जी डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0, 19ए, ब्रिटिश इन्डियन स्ट्रीट 3 तल, कलकत्ता– 700069,
25. सचिव, राजस्थान राज्य विद्युत परिसर निगम लि0, विद्युत भवन, ज्योति नगर, आर0सी0 देव मार्ग, जयपुर–302005।
26. सचिव, दिल्ली विद्युत बोर्ड, रूम नं0–104, शक्ति भवन, नेहरू प्लेस, न्यू दिल्ली–110019,
27. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिण हरियाणा बिजली विद्युत निगम लि0, विद्युत नगर, हिसार–126005,
28. अध्यक्ष, (वेस्ट जोन), मध्य प्रदेश पश्चिम कहेत्रा विद्युत वितरण कारपोरेशन लि0, जी0पी0एच0 कम्पाउन्ड, पोलो ग्राउन्ड, इन्दौर।
29. निदेशक, जनरल ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्पोजल डेवलेपमेन्ट ऑफ कामर्स (सप्लाई ऑफ डिविजन) जीवन तरंग बिल्डिंग, 5–पार्लियामेंट स्ट्रीट, न्यू दिल्ली–110001।
30. अध्यक्ष, नेशनल स्मॉल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि0, नीयर ओखला इन्डस्ट्रियल इस्टेट, नई दिल्ली।
31. अध्यक्ष, बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, पटना, बिहार।

संलग्नक–यथोपरि।

(फैसल खान)
उप सचिव (कार्य)

पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
"पूर्वान्चल विद्युत भवन"

विद्युत नगर, पत्रालय–डी.एल.डब्लू,
वाराणसी–221004

CIN-U31200UP2003SGC027461 ce.commercial@puvvnl.in

संख्या– 2788 /पूविविनिलि(वा)/वाणिज्य/बिलिंग दिनांकः– 01 अक्टूबर, 2024

कार्यालय ज्ञाप

विषयः–पूर्वाचल विविनिलि के क्लस्टर–8 (प्रयागराज क्षेत्र, मिर्जापुर क्षेत्र एवं वाराणसी क्षेत्र) में बिलिंग एवं कलेक्शन से सम्बन्धित कार्यो के लिये निर्गत आशय पत्र संख्या 8628/PuVVNL(V.)/ Commercial Dated 20.09.2021 के अन्तर्गत फर्म मेसर्स स्टर्लिंग टेक्नोलॉजिज एण्ड सर्विसेस # 3जी, एस0वी0एम0 प्लाजा, पद्मावतिपुरम तिरूपति, आन्ध्र प्रदेश को 3 वर्षो हेतु काली सूची में डालने हेतु।

Reference Letter No.:-

1. PuVVNL LOI No. 8628/PuVVNL(V.)/ Commercial Dated 20-09-2021
2. पत्रांक सं0 2533/पूविविनिलि(वा)/वाणिज्य/बिलिंग दिनांक 25.06.2024
3. पत्रांक सं0 2538/पूविविनिलि(वा)/वाणिज्य/बिलिंग दिनांक 27.06.2024
4. पत्रांक सं0 2541/पूविविनिलि(वा)/वाणिज्य/बिलिंग दिनांक 28.06.2024
5. पत्रांक सं0 2547/पूविविनिलि(वा)/वाणिज्य/बिलिंग दिनांक 29.06.2024
6. पत्रांक सं0 2605/पूविविनिलि(वा)/वाणिज्य/बिलिंग दिनांक 12.07.2024
7. पत्रांक सं0 2697/पूविविनिलि(वा)/वाणिज्य/बिलिंग दिनांक 22.08.2024

1– पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी के क्लस्टर–8 (प्रयागराज क्षेत्र, मिर्जापुर क्षेत्र एवं वाराणसी क्षेत्र) में डोर टू डोर मीटर रीडिंग, ऑन स्पाट विद्युत बिल सृजन, विद्युत बिल वितरण एवं विद्युत बिल कलेक्शन का कार्य मेसर्स स्टर्लिंग टेक्नोलॉजिज एण्ड सर्विसेस, तिरुपति द्वारा निविदा विशिष्ट सं0 MEDCO/2585/2021 (RFP) के अन्तर्गत पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी द्वारा निर्गत कार्यादेश (एल0ओ0आई0) 8628/PuVVNL(V.)/Commercial/ Date 20.09.2021 के क्रम में दिनांक 13.10.2021 को निष्पादित अनुबंध के अनुक्रम में दिनांक 01.11.2021 से किया जा रहा था, जिसकी कार्यावधि 36 माह थी।

2– बिलिंग गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्गत निर्देशों के क्रम में बिलिंग फर्म को बिलिंग सम्बन्धित कार्य में सुधार हेतु निरन्तर निर्देशित किया जा रहा था, परन्तु बिलिंग एजेंसी मेसर्स स्टर्लिंग टेक्नोलॉजिज एण्ड सर्विसेस द्वारा बिलिंग कार्यो में सुधार न कर अपने पत्र STR/PuVVNL/04/24-58 Date-22.06.2024 के माध्यम से पू0वि0वि0नि0लि0 द्वारा क्लस्टर–8 में बिलिंग कार्य हेतु किये गये अनुबन्ध को, आगामी माह की बिलिंग से मात्र 08 दिन पूर्व एकतरफा समाप्त (TERMINATE) कर माह जुलाई–2024 में क्लस्टर–8 में बिलिंग की व्यवस्था पू0वि0वि0नि0लि0 द्वारा अपने स्तर से करने हेतु कहा गया। डिस्काम द्वारा माह जुलाई–2024 का बिलिंग कार्य कराये जाने हेतु कार्यालय पत्रांक 2533/पू0वि0वि0नि0लि0)/वाणिज्य/बिलिंग दिनांक 25.06.2024, 2538/पू0वि0वि0नि0लि0)/वाणिज्य/बिलिंग दिनांक 27.06.2024 एम0ओ0एम0 पत्रांक 2541/पू0वि0वि0नि0लि0)/वाणिज्य/बिलिंग दिनांक 28.06.2024 एवं पत्रांक 2547/पू0वि0वि0नि0लि0)/वाणिज्य/बिलिंग दिनांक 29.06.2024 के माध्यम से फर्म से बार–बार अनुरोध करने के पश्चात भी फर्म द्वारा अनुबन्ध समाप्ति से सम्बन्धित पत्र पर पुनर्विचार करने से इनकार करते हुये कार्य बन्द कर दिया गया।

3– फर्म द्वारा अनुबन्ध की समाप्ति से सम्बन्धित आर0एफ0पी0 के क्लॉज 13.10.1.e के उल्लंघन एवं अनुबन्धीय प्रावधानों के अनुसार दायित्वों, कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों का निर्वहन न किये जाने के कारण उत्पन्न आपातकालीन परिस्थिति में, अनुबन्ध/आर0एफ0पी0 के क्लॉज 15.10.1 Fall Back Arrangement के अन्तर्गत माह जुलाई–2024 से निर्बाध रूप से बिलिंग कार्य अविलम्ब प्रारम्भ कराये जाने हेतु पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी के क्लस्टर–8 (प्रयागराज क्षेत्र–1/2, मिर्जापुर क्षेत्र एवं वाराणसी क्षेत्र–1/2) में डोर टू डोर मीटर रीडिंग, ऑन स्पाट विद्युत बिल सृजन, विद्युत बिल वितरण एवं विद्युत बिल कलेक्शन कार्य हेतु अन्य एजेन्सी को आगामी 6 माह (जुलाई–2024 से दिसम्बर–2024) के लिये कार्यादेशसं0–2576/PuVVNL(V)/ Commercial/billing दिनांक 06.07.2024 निर्गत कर नियुक्त किया गया।

4– मेसर्स स्टर्लिंग टेक्नोलॉजिज एण्ड सर्विसेस द्वारा अनुबन्ध के प्रावधानों के उल्लंघन एवं अनुबन्धीय प्रावधानों के अनुसार दायित्वों, कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों का निर्वहन न किये जाने के कारण तथा संभावित क्षति की रिकवरी के दृष्टिगत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त अनुबन्ध/आर0एफ0पी0 के क्लॉज 15.10.1 के प्रावधानानुसार मेसर्स स्टर्लिंग टेक्नोलॉजिज एण्ड सर्विसेस द्वारा परफार्मेंस सिक्योरिटी के रूप में जमा एफ0डी सं0 709013309055 Dated. 13.10.2021 Amount 2,57,56,066.00 (Rs. Two Crore fifty seven lakh fifty six thousand sixty six एवं बैंक गारन्टी सं0 10180100000022 Dated. 05.07.2023 Amount 24,58,376.00 (Rs. Twenty four lakh fifty eight thousand three hundred seventy six only.) को Encash कराया गया।

5– तदोपरान्त सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त पू0वि0वि0नि0लि0 के पत्र सं0 2553/पूविविनिलि(वा)/वाणिज्य/बिलिंग दिनांक 02.07.2024 के माध्यम से क्लस्टर–8 के अन्तर्गत प्रयागराज क्षेत्र–प्रथम/द्वितीय, मिर्जापुर क्षेत्र एवं वाराणसी क्षेत्र–प्रथम/द्वितीय के मुख्य अभियन्ता (वि0) से बिलिंग एजेंसी मेसर्स स्टर्लिंग टेक्नोलॉजिज एण्ड सर्विसेस द्वारा खराब बिलिंग एवं कलेक्शन कार्य करने, अनुबन्ध के नियम एवं शर्तों के अनुसार कार्य न करने तथा अनुबन्ध के प्रावधान के उल्लंघन करने पर काली सूची में डालने अथवा अन्य कार्यवाही किए जाने हेतु स्पष्ट अभिमत सहित सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। पूर्वांचल विविनिलि के उपरोक्त वर्णित पत्र दिनांक 02.07.2024 के अनुक्रम में वितरण क्षेत्रों से निम्न मंतव्य/संस्तुति प्राप्त हुयी:–

i. मुख्य अभियन्ता (वितरण) मिर्जापुर क्षेत्र ने पत्रांक 1618/मु0अ0मि0क्षे0(मि0)/बिलिंग एजेंसी दिनांक 16.08.2024 के द्वारा अवगत कराया कि बिलिंग एजेंसी द्वारा बिलिंग एवं कलेक्शन की प्रगति में सुधार न करते हुये माह जुलाई–2024 से अचानक बिलिंग कार्य बन्द कर दिया गया जोकि अनुबन्ध के नियम एवं शर्तो का घोर उल्लंघन है, जिसके कारण मिर्जापुर के अन्तर्गत आम जनता से जुड़े लगभग 8 लाख विद्युत उपभोक्ताओं की बिलिंग प्रभावित हुयी, जिसके परिणामस्वरूप कारपोरेशन को राजस्व की हानि के साथ–साथ उपभोक्ताओं का ससमय विद्युत बिल न उपलब्ध होने के कारण आम जनमानस में कारपोरेशन /उ0प्र0 शासन की छवि धूमिल हुयी। उक्त के दृष्टिगत मुख्य अभियन्ता (वितरण) मिर्जापुर क्षेत्र द्वारा बिलिंग एजेंसी मेसर्स स्टर्लिंग टेक्नोलॉजिज एण्ड सर्विसेस को ब्लैकलिस्ट करने की संस्तुति की गयी।

ii. मुख्य अभियन्ता (वितरण) प्रयागराज क्षेत्र–प्रथम पत्रांक 3887/मु0अ0(वि0)प्र0क्षे0/बिलिंग एजेंसी दिनांक 14.08.2024 के माध्यम से अनुबन्ध की शर्तो के विपरीत कार्य करने, विभाग का बिलिंग कार्य बाधित करने एवं विभाग की छवि धूमिल करने के कारण बिलिंग एजेंसी मेसर्स स्टर्लिंग टेक्नोलॉजिज एण्ड सर्विसेस के विरूद्ध अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप आवश्यक कठोरतम कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया।

iii. मुख्य अभियन्ता (वितरण) प्रयागराज क्षेत्र–द्वितीय द्वारा पत्रांक 3792/मु0अ0(वि0)प्रया0क्षे0द्वि0/वाणिज्य/बिलिंग दिनांक 14.08.2024 के माध्यम से फर्म द्वारा बिलिंग एवं कलेक्शन कार्यो को अनुबन्ध के नियम एवं शर्तो के अनुसार कार्य न करने तथा अनुबन्ध के प्रावधान का घोर उल्लंघन किये जाने पर बिलिंग एजेंसी मेसर्स स्टर्लिंग टेक्नोलॉजिज एण्ड सर्विसेस को ब्लैकलिस्ट करने का अनुरोध किया गया।

iv. मुख्य अभियन्ता (वितरण) वाराणसी क्षेत्र–प्रथम द्वारा पत्रांक 2615–मु0अ0वा0क्षे0(वा0)/(वाणिज्य)/बिलिंग दिनांक 23.08.2024 के माध्यम से अवगत कराया गया कि बिलिंग एजेंसी मेसर्स स्टर्लिंग टेक्नोलॉजिज एण्ड सर्विसेस द्वारा अनुबन्ध के नियम एवं शर्तों के अनुरूप कार्य नहीं किया गया जिसके कारण बिलिंग एजेंसी उपभोक्ताओं को समय पर सही विद्युत बिल देने तथा उपभोक्ताओं से विद्युत बिल के सापेक्ष धनराशि प्राप्त करने में असफल रही है जिस कारण विभाग का राजस्व प्रभावित हुआ है एवं छवि धूमिल हुई है। उक्त के दृष्टिगत मुख्य अभियन्ता (वितरण) वाराणसी क्षेत्र–प्रथम द्वारा बिलिंग एजेंसी को व्यापार–निषिद्ध/काली–सूची में डालने अथवा अन्य कार्यवाही किये जाने हेतु प्रबल संस्तुति की गयी।

v. मुख्य अभियन्ता (वितरण) वाराणसी क्षेत्र–द्वितीय द्वारा पत्रांक 1142–मु0अ0वा0क्षे0–द्वि0(वा0)/बिलिंग/ दिनांक 19.07.2024 के माध्यम से अवगत कराया गया कि बिलिंग एजेंसी मेसर्स स्टर्लिंग टेक्नोलॉजिज एण्ड सर्विसेस द्वारा अनुबन्ध के नियम एवं शर्तों के अनुरूप बिलिंग कार्य नहीं कराया गया। अतः मुख्य अभियन्ता (वितरण) वाराणसी क्षेत्र–द्वितीय द्वारा बिलिंग एजेंसी के विरूद्ध अनुबन्ध के नियम एवं शर्तों के अनुसार अग्रेतर कठोर कार्यवाही करने हेतु कहा गया।

6– न्यायिक सिद्वान्तों व नैसर्गिक न्याय के परिपेक्ष्य में मेसर्स स्टर्लिंग टेक्नोलॉजिज एण्ड सर्विसेस को खराब बिलिंग एवं कलेक्शन कार्य करने, अनुबन्ध के नियम एवं शर्तों के अनुसार कार्य न करने तथा अनुबन्ध के प्रावधान के उल्लंघन पर ब्लैकलिस्ट अथवा अन्य कार्यवाही किए जाने हेतु पत्रांक 2605/पूविविनिलि(वा)/वाणिज्य/बिलिंग दिनांक 12.07.2024 द्वारा कारण बताओं नोटिस (Show Cause Notice) निर्गत किया गया, जिसमें दिनांक 29.07.2024 तक उक्त कारण बताओं नोटिस का उत्तर प्रेषित करने एवं साथ ही नोटिस में उल्लेख किया गया कि यदि बिलिंग एजेंसी व्यक्तिगत सुनवाई हेतु इच्छुक हैं, तो बिलिंग एजेंसी के प्रबन्ध निदेशक या अधिकृत प्रतिनिधि डिस्काम मुख्यालय पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, पूर्वांचल विद्युत भवन, विद्युत नगर वाराणसी पर दिनांक 29.07.2024 को व्यक्तिगत उपस्थित हो सकते है।

7– माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में बिलिंग एजेन्सी स्टर्लिंग टेक्नोलॉजिज एण्ड सर्विसेज द्वारा रिट सं0 21801/2024 दाखिल किया गया। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा याचिका WRIT-C No.-21801 of 2024 में दिनांक 08.08.2024 को निम्न निर्णय दिया गयाः–

1. *Heard learned counsel appearing for the parties.*
2. *Learned counsel appearing for the petitioner upon reconsideration has prayed for withdrawal of the writ petition with liberty to the petitioner to approach appropriate forum for the appropriate reliefs.*
3. *In light of the above, the writ petition is dismissed as withdrawn with liberty to the petitioner to approach the appropriate forum for the appropriate reliefs.*

8– अग्रेतर न्यायिक सिद्धान्तों व नैसर्गिक न्याय के परिपेक्ष्य में फर्म को अन्तिम अवसर प्रदान करते हुये इस कार्यालय के पत्रांक 2697/पू0वि0वि0नि0लि0)/वाणिज्य/बिलिंग दिनांक 22.08.2024 द्वारा पुनः कारण बताओ नोटिस पत्र सं0 पत्रांक 2605/पू0वि0वि0नि0लि0)/वाणिज्य/बिलिंग दिनांक 12.07.2024 के सम्बन्ध में अपना उत्तर दिनांक 28.08.2024 तक प्रेषित करने एवं यदि फर्म व्यक्तिगत सुनवाई के इच्छुक है तो दिनांक 28.08.2024 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हो सकते हैं सूचित किया गया। मेसर्स स्टर्लिंग टेक्नोलॉजिज एण्ड सर्विसेस ने इस कार्यालय द्वारा निर्गत कारण बताओ नोटिस पत्रांक 2605/पू0वि0वि0नि0लि0)/ वाणिज्य/बिलिंग दिनांक 12.07.2024 का उत्तर अपने पत्र सं0 STR/PuVVNL/04/24-87 Date-28.08.2024 के माध्यम से प्रेषित किया। बिलिंग एजेंसी द्वारा प्रेषित उत्तर का समग्रता के साथ अवलोकन एवं अनुबन्ध में प्रदत्त विभिन्न क्लॉज एवं सब–कलॉज के दृष्टिगत विश्लेषण/निरीक्षण किया गया। प्रेषित कारण बताओ नोटिस के बिन्दुओं पर फर्म द्वारा दिया गया उत्तर एवं विश्लेषण में पाये गये तथ्य निम्नवत वर्णित है :–

(क) **<u>कारण बताओ नोटिस के बिन्दु संख्या 1</u>** के अनुसार बिलिंग एजेन्सी को बिलिंग लक्ष्य के सापेक्ष कम बिलिंग किये जाने के सम्बन्ध में आरोपित किया गया। बिलिंग लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्त की गयी बिलिंग प्रतिशत निम्नवत् है–

क्लस्टर/क्षेत्र		प्राप्ति (In %)								
		OCT-23	NOV-23	DEC-23	JAN-24	FEB -24	MAR-24	APRIL-24	MAY-24	JUN-24
क्लस्टर–8 (मिर्जापुर क्षेत्र, प्रयागराज–प्र0/द्वि0 क्षेत्र एवं वाराणसी–प्र0/द्वि0 क्षेत्र)	TOTAL BILLING	93.98	93.22	93.05	77.61	78.60	81.65	78.68	75.37	75.68
	MU GAP	11.97	13.39	12.65	7.22	5.84	5.16	4.71	4.06	4.16

अनुबन्ध के अनुसार मेसर्स स्टर्लिंग टेक्नोलॉजीज एण्ड सर्विसेज द्वारा समस्त उपभोक्ताओं का बिल निर्गत कर हस्तगत कराया जाना था, परन्तु मेसर्स स्टर्लिंग टेक्नोलॉजीज एण्ड सर्विसेज द्वारा माह अक्टूबर–2023, माह नवम्बर–2023, एवं माह दिसम्बर–2023 में क्रमशः मात्र 93.98 प्रतिशत, 93.22 प्रतिशत, एवं 93.05 प्रतिशत बिलिंग की गयी जिसमें एम0यू0 गैप क्रमशः 11.97 प्रतिशत, 13.39 प्रतिशत एवं 12.65 प्रतिशत रहा है। जिससे स्पष्ट होता है कि मेसर्स स्टर्लिंग टेक्नोलॉजीज एण्ड सर्विसेज द्वारा समस्त उपभोक्ताओं को बिल निर्गत कर हस्तगत नहीं कराया गया एवं अत्यधिक एम0यू0 गैप से यह प्रतीत होता है कि फर्म के मीटर रीडरों द्वारा उपभोक्ता के परिसर पर न जाकर टेबल रीडिंग की गयी।

कारपोरेशन स्तर पर माह जनवरी–2024 में आहूत समीक्षा बैठक जिसमें मेसर्स स्टर्लिंग टेक्नोलॉजीज एण्ड सर्विसेज के उच्च प्रबन्धन के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे में यह संज्ञानित हुआ कि फर्म के मीटर रीडरों द्वारा माह के अन्त में उपभोक्ताओं के परिसर पर न जाकर अत्यधिक मात्रा में टेबल बिलिंग की गयी है एवं बिलिंग एजेन्सी आवश्यकतानुसार मीटर रीडर उपलब्ध नहीं करा पा रही हैं। जिसके कारण बिलिंग गुणवत्ता में सुधार, उपभोक्ताओं को सही बिल देने एवं त्रुटिरहित बिलिंग के उददेश्य से निर्णय लिया गया कि माह की 22 तारीख तक बिलिंग पूर्ण की जायेगी। ऐसे क्षेत्र जहां बिलिंग एजेन्सी बिलिंग हेतु आवश्यकता अनुसार मीटर रीडर उपलब्ध नही करा पा रही थी एवं बिलिंग करने में व्यावहारिक समस्या आ रही थी वहां Bi-Monthly प्लान बनाकर निर्धारित शिड्यूल के अनुसार Bi-Monthly Reading कराया जाये एवं शेष क्षेत्रों में Monthly Reading कराकर शतप्रतिशत उपभोक्ताओं को बिल वितरित किया जाये। जिससे माह में कोई भी उपभोक्ता अनबिल्ड न रहे व फर्म प्रतिमाह 22 तारीख तक उसी मैनपावर से सही बिल बनवा सके और उसका कोई अतिरिक्त वित्तीय भार भी नहीं आयेगा।

परन्तु उपरोक्त तालिका के अनुसार फर्म द्वारा माह जनवरी–2024, फरवरी–2024, मार्च–2024, अप्रैल–2024, मई–2024 एवं जून–2024 में क्रमशः मात्र 77.61 प्रतिशत 78.60 प्रतिशत, 81.65 प्रतिशत, 78.68 प्रतिशत, 75.37 प्रतिशत एवं 75.68 प्रतिशत बिलिंग की गयी तथा एम0यू0 गैप क्रमशः 7.22 प्रतिशत, 5.84 प्रतिशत, 5.16 प्रतिशत, 4.71 प्रतिशत, 4.06 प्रतिशत एवं 4.16 प्रतिशत रहा है। जबकि मीटर रीडरों द्वारा प्रतिमाह 22 तारीख तक मीटर रीडिंग का लक्ष्य 80 प्रतिशत निर्धारित था। परन्तु फर्म द्वारा माह जनवरी–2024, फरवरी–2024, अप्रैल–2024, मई–2024 एवं जून–2024 में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार बिलिंग नहीं की गयी एवं बिलिंग एवं एम0यू0 आधारित बिलिंग के मध्य गैप अत्यधिक

रहा, जिससे स्पष्ट होता है कि फर्म के मीटर रीडरों द्वारा बिना परिसर पर गये हुए गलत रीडिंग डालकर मनमाने तरीके से बिल निर्गत किये गये, जिसके कारण विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को सम्पूर्ण माह बिल सुधार में व्यस्त रहना पड़ा तथा उपभोक्ताओं को ससमय बिल भुगतान करने में असुविधा हुई साथ ही साथ डिस्काम का राजस्व संग्रह एवं विद्युत आपूर्ति का कार्य भी प्रभावित हुआ।

मेसर्स स्टर्लिंग टेक्नोलॉजीज एण्ड सर्विसेज के मीटर रीडरों द्वारा की गयी मासिक बिलिंग के डेटा का विश्लेषण करने पर पाया गया कि फर्म के मीटर रीडरों द्वारा एक ही लोकेशन से अनेक बिल निर्गत किये गये तथा एक ही उपभोक्ता की बिलिंग लोकेशन अलग-अलग माह में भिन्न-भिन्न पायी गयी तथा अनेक मीटर रीडरों द्वारा एक ही दिन में 250-300 से भी अधिक बिल निर्गत किये गये। जोकि व्यावहारिक रूप से सम्भव नहीं है। उक्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में फर्म को पत्रांक सं0- 2115/पूविविनिलि (वा)/वाणिज्य/बिलिंग दिनांक 13.02.2024 संज्ञानित कराया गया। परन्तु कोई सुधार परिलक्षित नहीं हुआ। इससे यह स्पष्ट होता है कि फर्म के मीटर रीडरों द्वारा उपभोक्ता के परिसर पर न जाकर टेबल बिलिंग की गयी।

इसके अतिरिक्त आर0एफ0पी0 के क्लाज सं0 8.1.1 में प्रावधानित है कि-" *Door to door visit every month to consumer premises and downloading of meter reading using smart phone. Wherever downloading of meter reading is not possible, the meter reader will punch readings manually and shall punch exceptions as per clause 8.1.12. It is mandatory that the meter reader shall capture the photo of the meter readings for which bill is to be generated using the mobile app to be provided by the Discom."*

उक्त के अनुसार समस्त उपभोक्ताओं के परिसर पर जाकर डाउनलोडेड बिलिंग की जानी थी। डाउनलोडेड रीडिंग सफल न होने की दशा में मीटर रीडर द्वारा अनिवार्य रूप से मीटर रीडिंग की फोटोग्राफ लेकर मैनुअल मीटर रीडिंग फीड करते हुये बिल निर्गत किया जाना था। परन्तु फर्म के मीटर रीडरों द्वारा अधिकांश उपभोक्ताओं के मीटर की मीटर रीडिंग का फोटोग्राफ उददेश्य पूर्ण एवं वांछित रूप से नहीं लिया गया।

<u>उपरोक्त के सम्बन्ध में बिलिंग एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया :</u>

"We have obtained the data from the billing portal, and any discrepancies with your data are not our concern. Each month, we bill consumers up to the 28th day, covering 94 to 95 percent of them. The remaining consumers are not available in the field, and this has been communicated to your department regularly. However, your department has not taken our concerns seriously, leading to a shortfall of 2 to 3 percent in the billing percentage. Our billing was 95 percent up to December and it suddenly dropped the billing percentage from January month billing due to breach of the clause by your department 8.5.3 of Tender Document and Clause - 1.4.2 of Work Order.

As Per Your Notice

Cluster/Zone		Months								
		Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24
Cluster-8 all zones	Total Billing %	93.98	93.22	93.05	77.61	78.6	81.65	78.68	75.37	75.68
	MU-GAP %	11.97	13.39	12.65	7.22	5.84	5.16	4.71	4.06	4.16

As Per Data

Cluster/Zone		Months								
		Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24
Cluster-8 all zones	Total Billing %	94.91	94.22	95.49	80.95	81.87	83.41	88.51	91.37	75.68
	MU-GAP %	11.97	13.35	12.24	7.22	5.84	5.11	4.71	4.06	4.16

बिलिंग एजेन्सी के द्वारा क्लस्टर-8 के समस्त बिलेबल उपभोक्ताओं की शत प्रतिशत बिलिंग करनी थी जोकि बिलिंग ऐजेन्सी द्वारा नहीं की गयी। बिलिंग एजेन्सी का यह कथन कि ऐसे उपभोक्ता जो क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है, उनकी बिलिंग सम्भव नहीं थी जिसकी सूचना नियमित रूप से विभाग को दी गयी। जिसे विभाग द्वारा गम्भीरता से नही लिया गया पूर्णरूप से निराधार एवं भ्रामक है जबकि बिलिंग एजेन्सी द्वारा पूर्व में प्रेषित किये गये जंक डाटा एवं अनबिल्ड एक्सेप्शन गलत पाये गये थे। जिसमें से अधिकांश उपभोक्ताओं की बिलिंग बिलिंग एजेन्सी के मीटर रीडरों द्वारा ही की गयी थी एवं जंक डाटा एवं अनबिल्ड एक्सेशन में अधिकांश उपभोक्ताओं के संयोजन क्षेत्र में चलते हुए पाये गये एवं उनकी बिलिंग क्षेत्रीय अधिकारियों/कर्मचारियों के सहयोग से करायी गयी थी। जिससे स्पष्ट है कि बिलिंग एजेन्सी द्वारा बार बार संयोजन का बिना भौतिक सत्यापन किये हुए गलत डाटा प्रेषित कर जंक एवं अनबिल्ड एक्सेशन बताया गया एवं उपभोक्ताओं की बिलिंग का कार्य जिम्मेदारी पूर्वक नही किया गया।

बिलिंग एजेन्सी को सुधार हेतु नियमित रूप से डिस्काम स्तर पर आहूत विभिन्न समीक्षा बैठक दिनांक 10.02.2024 (कार्यवृत्त सं0 2111/पू0वि0वि0नि0लि0/वाणिज्य/बिलिंग दिनांक 10.02.2024), समीक्षा बैठक दिनांक 29.02.2024 (कार्यवृत्त सं0 2156/पू0वि0वि0नि0लि0/वाणिज्य/बिलिंग दिनांक 01.03.2024), समीक्षा बैठक दिनांक 01.04.2024 (कार्यवृत्त सं0 2257/पू0वि0वि0नि0लि0/वाणिज्य/बिलिंग दिनांक 02.04.2024), समीक्षा बैठक दिनांक 24.04.2024 (कार्यवृत्त सं0 2330/पू0वि0वि0नि0लि0/वाणिज्य/बिलिंग दिनांक 24.04.2024) एवं विभिन्न पत्रांक 1852/पू0वि0वि0नि0लि0/वाणिज्य/बिलिंग दिनांक 18.11.2023, पत्रांक 1934/PuVVNL(v)./ Billing Date 15.12.2023, पत्रांक 2121/पू0वि0वि0नि0लि0/वाणिज्य/बिलिंग दिनांक 16.02.2024, पत्रांक 2186/पू0वि0वि0नि0लि0/वाणिज्य/बिलिंग दिनांक 06.03.2024, पत्रांक 2740/पू0वि0वि0नि0लि0 /वाणिज्य /बिलिंग दिनांक 27.05.2024, पत्रांक 2526/पू0वि0वि0नि0लि0 /वाणिज्य /बिलिंग दिनांक 21.06.2024 एवं क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा भी विभिन्न पत्रों के माध्यम से मेसर्स स्टर्लिंग बिलिंग एजेंसी को बिलिंग में सुधार कर निर्धारित लक्ष्य के अनुसार पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया जा रहा था, परन्तु बिलिंग एजेन्सी द्वारा बिलिंग में कोई सुधार नहीं किया गया। बिलिंग एजेन्सी द्वारा बिलिंग प्रतिशत कम होने के सम्बन्ध में कोई भी आंकड़ा साक्ष्यों सहित प्रस्तुत नहीं किया गया तथा बिलिंग एवं एम0यू0 आधारित बिलिंग के मध्य गैप अत्यधिक होने के सम्बन्ध में बिलिंग ऐजेन्सी द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

कारपोरेशन/डिस्कॉम द्वारा निरन्तर दिये गये निर्देशों के उपरान्त भी बिलिंग में सुधार न होने पर बिलिंग गुणवत्ता सुनिश्चित कराते हुये उपभोक्ताओं को सही बिल उपलब्ध कराये जाने हेतु कारपोरेशन द्वारा माह सितम्बर –2023 में सुपरवाईज्ड (असिस्टेड) मीटर रीडिग का कार्य प्रारम्भ कराया गया जिसमें मीटर रीडरों को विभागिय कार्मिको के साथ मीटर रीडिग का कार्य किया जाना था। सुपरवाईज्ड मीटर रीडिग कराये जाने पर यह पाया गया कि बिलिंग ऐजेन्सी के मीटर रीडरों द्वारा बिलिंग लक्ष्य पूर्ण करने के उद्धेश्य से उपभोक्ताओं के परिसरों पर न जाकर टेबल रीडिग की जा रही थी। सुपरवाईज्ड (असिस्टेड) मीटर रीडिग के परिणामस्वरूप माह अक्टूबर–2023, नवम्बर–2023 एवं दिसम्बर–2023 में आई0डी0एफ0 एवं आर0डी0एफ0 प्रकरणों में अप्रत्याशित वृद्धि हुयी जो कि माह अक्टूबर–2023, नवम्बर–2023 एवं दिसम्बर–2023 में बिलिंग एवं एम0यू0 आधारित बिलिंग के मध्य अत्यधिक गैप से स्पष्ट हो रहा है। जिसके दृष्टिगत टेबल बिलिंग पर अंकुश लगाकर गुणवत्तापूर्ण बिलिंग सुनिश्चित किये जाने हेतु बिलिंग ऐजेन्सीयों के साथ विचार विमर्श के उपरान्त माह की 22 तारीख तक बिलिंग पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

बिलिंग एजेंसी की सम्बन्धित क्षेत्र के उपभोक्ताओं की गुणवत्तवापूर्ण बिलिंग करने की पूर्ण जिम्मेदारी थी, परन्तु बिलिंग एजेंसी द्वारा कारपोरेशन/डिस्कॉम द्वारा पूर्ण सहयोग करने के पश्चात भी उपभोक्ताओं की बिलिंग करने का कार्य जिम्मेदारीपूर्वक नहीं किया गया एवं यदि कुछ उपभोक्ताओं की बिलिंग संभव नहीं थी तो उसकी सूचना सम्बन्धित खण्ड/मण्डल/क्षेत्र/डिस्कॉम को माहवार उपलब्ध कराना चाहिए था, परन्तु बिलिंग एजेंसी द्वारा यह कार्य नहीं किया गया। अतः लक्ष्य के अनुसार गुणवत्तापूर्ण बिलिंग न करने के सम्बन्ध में बिलिंग एजेन्सी द्वारा दिये गये कारण स्वीकार योग्य नहीं है।

(ख) <u>कारण बताओ नोटिस के बिन्दु संख्या 2</u> के अनुसार बिलिंग एजेन्सी को डाउनलोडेड/ओ0सी0आर0 बिलिंग की अत्यन्त खराब प्रगति के सम्बन्ध में आरोपित किया गया। अनुबन्ध के अनुसार मेसर्स स्टर्लिंग टेक्नोलॉजीज एण्ड सर्विसेज द्वारा मीटर्ड बिलेबल संयोजनो की डाउनलोडेड बिलिंग (प्रोब बिलिंग) करते हुए बीजक उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जाना था। आर0एफ0पी0 के क्लाज सं0 8.2.1.e में प्रावधानित है कि– "*Agency shall be required to meet the targets for meter reading by downloading of downloadable meters. The Downloaded meter for each cluster is provided. The Discom shall provide the target for downloading of meter based on progress of addressing of the exceptions by the agency and other field conditions.* "जिसके अनुसार डिस्काम द्वारा माहवार डाउनलोडेड बिलिंग के निर्धारित लक्ष्य को शत प्रतिशत प्राप्त किया जाना था। मेसर्स स्टर्लिंग टेक्नोलॉजीज एण्ड सर्विसेज द्वारा करायी गयी डाउनलोडेड/ओ0सी0आर0 बिलिंग का विवरण निम्नवत है:–

Month	METERED Billable (Except Prepaid, Smart & MRI)	Monthly Probe Target (Minimum)	OCR BILLED	DOWNLOADED Billed	Total (OCR +DOWNLOADED	IN % W.R.T. Target	IN % W.R.T. Billable
Oct-23	4914805	1384984	0	317497	317497	22.92	6.46
Nov-23	4931294	1454233	0	318511	318511	21.90	6.46
Dec-23	4939908	1526943	0	304386	304386	19.93	6.16
Jan-24	4974093	1603290	0	276971	276971	17.28	5.57
Feb-24	4987298	1619323	0	265875	265875	16.42	5.33
Mar-24	5001899	1635516	44371	296144	340515	20.82	6.81
Apr-24	5015885	1651872	55086	290443	345529	20.92	6.89
May-24	5037252	1668391	77246	272329	349575	20.95	6.94
Jun-24	5063126	1685075	124366	284306	408672	24.25	8.07

माह जून–2024 में डिस्काम द्वारा डाउनलोडेड बिलिंग के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 24.25 प्रतिशत एवं कुल मीटर्ड बिलेबल उपभोक्ता के सापेक्ष मात्र 8.07 प्रतिशत ही डाउनलोडेड/ओ0सी0आर बिलिंग की गयी जोकि अत्यन्त खराब है। इसी प्रकार जून–2024 से पूर्व के माहों में भी डाउनलोडेड/ओ0सी0आर0 बिलिंग की प्रगति अत्यन्त खराब रही। कारपोरेशन स्तर पर दिनांक 30.10.2023 को समीक्षा बैठक में फर्म द्वारा की जा रही डाउनलोडेड बिलिंग की प्रगति में सुधार परिलक्षित न होने पर बिलिंग फर्म के अनुरोध पर ओ0सी0आर0 तकनीकी से मीटर रीडिंग आधारित बिलिंग उपलब्ध कराये जाने की अनुमति प्रदान की गयी एवं ओ0सी0आर0 बिलिंग को डाउनलोडेड के समतुल्य माना गया, परन्तु उसके पश्चात भी डाउनलोडेड बिलिंग में सुधार नहीं हुआ।

आर0एफ0पी0 के क्लाज सं0 8.2.2 में प्रावधानित है कि– ***"Downloading Exception addressing by agency: The agency shall be responsible to carry out removal of all downloaded exceptions within the prescribed timeline (Maximum 6 month)"*** जिसके अनुसार समस्त डाउनलोडेड एक्सेप्शन निर्धारित समयावधि के अनुसार अधिकतम 6 माह में दूर कर डाउनलोडेड बिलिंग की जानी थी परन्तु फर्म द्वारा उपरोक्त कार्य नही किया गया, जिसके कारण डाउनलोडेड बिलिंग की प्रगति अत्यन्त खराब रही है।

उपरोक्त .के सम्बन्ध में बिलिंग एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया :

"Regarding Probe billing, as per the contract clause, we met the target for both attempts and successful billings up until January. The performance then declined due to the confusing actions of your department, which resulted in a breach of clause 8.5.3 of the Tender Document and clause 1.4.2 of the Work Order."

बिलिंग एजेन्सी द्वारा डाउनलोडेड (प्रोब)/ओ0सी0आर0 बिलिंग के सम्बन्ध में कोई भी आंकड़ा प्रस्तुत नहीं किया गया। बिलिंग एजेन्सी द्वारा अनुबन्ध के 2.5 वर्ष से भी अधिक समय से कार्य करते रहने के उपरान्त भी माह जून–2024 में आर0एफ0पी0 के अनुसार डाउनलोडेवल मीटर के सापेक्ष मात्र 17.31 प्रतिशत, माह के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 24.25 प्रतिशत एवं कुल मीटर्ड संयोजनों के सापेक्ष मात्र 8.04 प्रतिशत डाउनलोडेड बिलिंग की गयी, जो कि अत्यन्त कम है जबकि बिलिंग एजेन्सी के अनुरोध पर ओ0सी0आर0 तकनीक से मीटर रीडिंग आधारित बिलिंग उपलब्ध कराये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी एवं ओ0सी0आर0 बिलिंग को डाउनलोडेड बिलिंग के समतुल्य माना गया है। बिलिंग एजेन्सी को क्षेत्र में स्थापित सभी डाउनलोडेवल मीटरों पर प्रोब अटेम्पट /ओ0सी0आर0 करनी चाहिए थी परन्तु बिलिंग एजेन्सी द्वारा सभी मीटरों पर प्रोब अटेम्पट/ओ0सी0आर0 करने का प्रयास नहीं किया गया। जिसके कारण डाउनलोडेड (प्रोब)/ओ0सी0आर0 की प्रगति अत्यन्त खराब रही। अनुबन्ध के क्लॉज सं0 1.1.1 के अनुसार जिन उपभोक्ताओं की तकनीकी कारणों से डाउनलोडिंग बिलिंग किया जाना सम्भव नहीं था उन प्रकरणों में मीटर रीडिंग का फोटोग्राफ लिया जाना अनिवार्य था जो कार्य बिलिंग एजेंसी द्वारा उद्देश्यपूर्ण वांछित रूप से नहीं लिया गया जिससे यह स्वतः स्पष्ट है कि बिलिंग एजेन्सी द्वारा डाउनलोडेड (प्रोब)/ओ0सी0आर0 के कार्य में घोर लापरवाही की गयी थी। अतः डाउनलोडेड/ओ0सी0आर0 बिलिंग की खराब प्रगति के सम्बन्ध में बिलिंग एजेन्सी द्वारा दिये गये कारण स्वीकार योग्य नहीं है।

(ग) **कारण बताओ नोटिस के बिन्दु संख्या–3** के अनुसार बिलिंग एजेन्सी को मीटर रीडिंग एवं बिल वितरण की सही प्रकार से एवं नियमित रूप से कॉस चैकिंग न किये जाने के सम्बन्ध में आरोपित किया गया। आर0एफ0पी0 के क्लाज सं0 8.4.1 में प्रावधानित है कि– "The supervisor will carry out cross checking of meter readings for improving the quality of billing and collection in every month."

a) *Random sample checking of 1% of meter readings which are not downloaded from meter & submit the Report to the concerned office of Discom.*
b) *Shall also monitor billing performance & their exception, sample verification of table reading, exceptions etc and submit. Report to the concerned office of Discom.*
c) *Random sample checking of 1% of consumers for receipt of bills for consumers where supply is either unmetered or through smart meter and submit Report to the concerned office of Discom."*

जिसके अनुसार फर्म के बिलिंग सुपरवाईजरों द्वारा प्रत्येक माह मीटर्ड उपभोक्ताओं की मीटर रीडरों द्वारा की गयी बिलिंग की 1 प्रतिशत उपभोक्ताओं की रीडिंग (डाउनलोडेड को छोडकर) की कॉस चैकिंग एवं 1 प्रतिशत अनमीटर्ड अथवा स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के बिल वितरण की रेन्डम कॉस चैकिंग किये जाने का कार्य करते हुए रिपोर्ट सम्बन्धित कार्यालय को उपलब्ध करायी जानी थी। परन्तु फर्म के सुपरवाईजरों द्वारा मीटर रीडिंग की क्रॉस चेकिंग किये जाने का कार्य उचित प्रकार से सतत नहीं किया गया, जिसके कारण से बिलिंग गुणवत्ता में सुधार परिलक्षित नहीं हुआ एवं उपभोक्ताओं को ससमय सही मीटर रीडिंग आधारित बिल वितरित नहीं किया गया।

उपरोक्त .के सम्बन्ध में बिलिंग एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया :

"Our supervisor strictly adhered to clause 8.4.1, and the relevant information was submitted to the concerned field officer for verification. It is your responsibility to obtain the necessary information from the field officer."

बिलिंग एजेंसी को अनुबन्ध के अनुसार बिलिंग सुपरवाईजरों द्वारा कम से कम 01 प्रतिशत नान डाउनलोडेबल मैनुअल रीडिंग फीड कर बनाये गये बिलों वाले संयोजनों की रीडिंग, 1 प्रतिशत अनमीटर्ड एवं स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के बिल वितरण की क्रॉस चैकिंग कर संकलित रिपोर्ट खण्ड/मण्डल/क्षेत्र/डिस्कॉम को प्रेषित की जानी थी, परन्तु बिलिंग सुपरवाईजरों द्वारा उपरोक्त कार्य नहीं किया गया, जिसके कारण बिलिंग गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार नहीं हो सका। बिलिंग एजेंसी के सुपरवाईजरों द्वारा मीटर रीडिंग की क्रॉस चैकिंग के कार्य से सम्बन्धित प्रपत्र/रिपोर्ट एवं दोष पाये जाने पर कृत कार्यवाही सम्बन्धित खण्ड/मण्डल/क्षेत्र/डिस्कॉम को नियमित रूप से उपलब्ध नहीं कराये गये। बिलिंग एजेंसी द्वारा सुपरवाईजरों द्वारा की गयी मीटर रीडिंग/बिल वितरण की क्रॉस चैकिंग सम्बन्धी साक्ष्य रिपोर्ट/प्रपत्र उत्तर के साथ भी प्रेषित नहीं किये गये। अतः मीटर रीडिंग एवं बिल वितरण की सही प्रकार से एवं नियमित रूप से मीटर रीडिंग की क्रॉस चैकिंग किये जाने के सम्बन्ध में बिलिंग एजेन्सी का कथन स्वीकार योग्य नहीं है।

(घ) **कारण बताओ नोटिस के बिन्दु संख्या 4** के अनुसार बिलिंग एजेन्सी को मीटर रीडरों द्वारा किये जा रहे कलेक्शन की खराब प्रगति के सम्बन्ध में आरोपित किया गया। मेसर्स स्टर्लिंग टेक्नोलॉजीज एण्ड सर्विसेज द्वारा मीटर रीडरों के माध्यम से मीटर रीडिंग के साथ-साथ समस्त उपभोक्ताओं से विद्युत बिल कलेक्शन का कार्य भी कराया जाना था। आर0एफ0पी0 के क्लाज सं0 8.3 में प्राविधानित है-

"**8.3.1** - *The agency through its employees shall collect revenue by reaching consumers door-to-door against electricity dues of the consumer,whose meter reading was done by it.*

8.3.2 - *The agency shall operate its door-to-door revenue collection operations using Pre-paid wallet of Discom. The agency shall deposit the top up amount in advance and the agency shall be permitted for collection of electricity bills from the consumers only upto the limit of top-up amount."*

जिसके अनुसार मीटर रीडरों द्वारा प्री-पेड ई-वालेट के माध्यम से डोर टू डोर बिल निर्गमन एवं वितरण के साथ विद्युत बिल के सापेक्ष राजस्व कलेक्शन का कार्य भी किया जाना था, जिसके लिए बिलिंग फर्म को मीटर रीडरों की ई-वालेट में पर्याप्त धनराशि का अग्रिम रिचार्ज कराकर कलेक्टिंग एजेन्ट के माध्यम से राजस्व कलेक्शन कराया जाना था। मेसर्स स्टर्लिंग टेक्नोलॉजीज एण्ड सर्विसेज के मीटर रीडरों द्वारा माह अक्टूबर-2023 से जून-2024 तक किये गये कलेक्शन की प्रगति निम्नवत है-

MONTH	cluster-8 Total Revenue realization (Cr.)	Total Recharge Amount (Cr.)	Collection By Meter Readers		
			Deposit Bill Count (No)	Collected Bill Amount (Cr.)	% w.r.t total realization
Oct-23	352.09	0.19	3641	0.31	0.09
Nov-23	847.29	1.72	20985	1.74	0.21
Dec-23	1295.96	2.29	29300	2.04	0.16
Jan-24	659.10	2.65	33479	2.36	0.36
Feb-24	287.80	2.85	32926	2.78	0.97
Mar-24	330.97	2.85	34320	2.84	0.86
Apr-24	241.10	2.46	27473	2.41	1.00
May-24	293.65	2.48	24867	2.60	0.88
Jun-24	369.31	0.90	14532	1.65	0.45

उपरोक्त विवरण के अनुसार फर्म द्वारा माह जून-2024 में बिलिंग एजेन्सी के ई-वालेट में कुल धनराशि मात्र 0.90 करोड़ रूपये से रिचार्ज किया गया एवं मात्र 14532 उपभोक्ताओं से मात्र रू0 1.65 करोड़ का ही राजस्व संग्रह किया गया, जो कि अत्यन्त खराब है। इसी प्रकार जून-2024 से पूर्व के माहों में भी बिलिंग एजेन्सी के ई-वालेट में रिचार्ज कराये जाने एवं कलेक्शन की प्रगति अत्यन्त खराब रही। इससे स्पष्ट होता है कि मेसर्स स्टर्लिंग टेक्नोलॉजीज एण्ड सर्विसेज द्वारा अनुबन्ध के अनुसार विद्युत बिल कलेक्शन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में घोर लापरवाही की गयी।

उपरोक्त के सम्बन्ध में बिलिंग एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया :

"The collection of revenue is optional, and we do not receive any additional payment from you for this effort. Moreover, your department has made the collection system cumbersome and set excessively high rates for other channels to collect, which has also contributed to the suboptimal revenue collection from the field."

अनुबन्ध में "Revenue Collection Optional" होने का कोई विकल्प प्रावधानित नही है। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0 लखनऊ के आर0एफ0पी0 निविदा विशिष्टि सं0 MEDCO/2585/2021 के अन्तर्गत बिलिंग एजेन्सी को क्लस्टर–8 में विद्युत उपभोक्ताओं की Door to Door meter reading, On spot Bill Generation, Bill Distribution and Bill Collection के कार्य हेतु अनुबन्धित किया गया था जिसमें राजस्व संग्रह का कार्य भी बिलिंग एजेन्सी द्वारा किया जाना था। बिलिंग एजेन्सी को उनके द्वारा किये जा रहे राजस्व संग्रह हेतु अनुबन्धित दरों के अनुसार भुगतान किया जा रहा था। फर्म द्वारा उनके मीटर रीडरों द्वारा रीचार्ज वॉलेट के सापेक्ष कम राजस्व संग्रह का अनुश्रवण नहीं किया गया इसके अतिरिक्त मीटर रीडरों द्वारा छोटे उपभोक्ताओं से ई–वॉलेट के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने में रूचि नहीं दिखाई गयी। जिससे विभाग के राजस्व की हानि हुयी, उपभोक्ताओं को अन्य माध्यमों से बिल भुगतान किये जाने पर असुविधा हुयी तथा विभाग के राजस्व केन्द्रो पर अतिरिक्त भार आया। अतः कम राजस्व संग्रह करने के सम्बन्ध में बिलिंग एजेन्सी का कथन स्वीकार योग्य नहीं है।

(ड़) **कारण बताओ नोटिस के बिन्दु संख्या 5** के अनुसार बिलिंग एजेन्सी को आर0एफ0पी0 के क्लाज सं0 15.2.2.c का अनुपालन न किये जाने के सम्बन्ध में अवगत गया। आर0एफ0पी0 के क्लाज सं0 15.2.2.c में प्रावधानित है कि–*"The Agency shall be responsible to be in compliance to all the Statutory Acts Applicable. Special attention of the bidder is drawn towards the compliance of the following statutes (Along with latest amendments/additions): (i) The Child Labour (Prohibition and Regulation) Act,1986, (ii) The Contract labour (regulation and Abolition) Act,1970, (iii) The Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act,1952, (iv) The Employees State Insurance Act,1976 , (v) The Industrial DisputeAct,1947 ,(vi) The Minimum Wages Act,1948, (vii)The Payment of Bonus Act,1965, (viii) The Workman's Compensation Act,1923, (ix) Public Liability Insurance Act,1991, (x)Fatal Accident Act,1855, (xi) The Electricity Act, 2003."*

जिसके अनुसार संगत अधिनियमों के अनुपालन करने की जिम्मेदारी एजेंसी की है। परन्तु कतिपय क्षेत्रों से ई0पी0एफ0 / ई0एस0आई0 का भुगतान न होने के कारण मीटर रीडरों द्वारा कार्य बंद किये जाने से बिलिंग कार्य प्रभावित हुआ। इस सम्बन्ध में कार्यालय के विभिन्न पत्रों पत्रांक सं0– 2031 / पूविविनिलि (वा) / वाणिज्य / बिलिंग दिनांक 15.01.2024, पत्रांक सं0– 636 / पूविविनिलि (वा) / वाणिज्य / बिलिंग दिनांक 01.02.2024, पत्रांक सं0– 2209 / पूविविनिलि (वा) / वाणिज्य / बिलिंग दिनांक 14.03.2024, पत्रांक सं0– 2210 / पूविविनिलि (वा) / वाणिज्य / बिलिंग दिनांक 14.03.2024, पत्रांक सं0– 2291 / पूविविनिलि (वा) / वाणिज्य / बिलिंग दिनांक 12.04.2024, पत्रांक सं0– 2358 / पूविविनिलि (वा) / वाणिज्य / बिलिंग दिनांक 30.04.2024,पत्रांक सं0– 2384 / पूविविनिलि (वा) / वाणिज्य / बिलिंग दिनांक 07.05. 2024,पत्रांक सं0– 2404 / पूविविनिलि (वा) / वाणिज्य / बिलिंग दिनांक 14.05.2024, पत्रांक सं0– 2449 / पूविविनिलि (वा) / वाणिज्य / बिलिंग दिनांक 28.05.2024, पत्रांक सं0–2524 / पूविविनिलि (वा) / वाणिज्य / बिलिंग दिनांक 20.06.2024 द्वारा फर्म को अवगत कराया गया। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि मेसर्स स्टर्लिंग टेक्नोलॉजीज एण्ड सर्विसेज द्वारा अपनी फर्म के मीटर रीडरों को ई0एस0आई0 / ई0पी0एफ0 भुगतान में संगत अधिनियमों का अनुपालन नहीं किया गया।

उपरोक्त .के सम्बन्ध में बिलिंग एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया :

"We have paid all statutory dues up to March 2024. However, your department has failed to pay 30% since November and 70% since April onwards, which is the reason for the delay in payments up to date."

संदर्भित आर0एफ0पी0 के क्लाज सं0 15.2.2.c में उक्त के सम्बन्ध में कोई छूट नहीं है। स्पष्ट है कि फर्म को बिना भुगतान की प्रतीक्षा किये कर्मचारियों के समस्त देयो का भुगतान सुनिश्चित किया जाना है। बिलिंग एजेन्सी को पत्रांक सं0– 636 / पूविविनिलि (वा) / वाणिज्य / बिलिंग दिनांक 01.02.2024, पत्रांक सं0– 2209 / पूविविनिलि (वा) / वाणिज्य / बिलिंग दिनांक 14.03.2024, पत्रांक सं0– 2210 / पूविविनिलि (वा) / वाणिज्य / बिलिंग दिनांक 14.03.2024, पत्रांक सं0– 2291 / पूविविनिलि (वा) / वाणिज्य / बिलिंग दिनांक 12.04.2024, पत्रांक सं0–2358 / पूविविनिलि (वा) / वाणिज्य / बिलिंग दिनांक 30.04.2024, पत्रांक सं0– 2384 / पूविविनिलि (वा) / वाणिज्य / बिलिंग दिनांक 07.05.2024, पत्रांक सं0– 2404 / पूविविनिलि (वा) / वाणिज्य / बिलिंग दिनांक 14.05.2024, पत्रांक सं0– 2449 / पूविविनिलि (वा) / वाणिज्य / बिलिंग दिनांक 28.05.2024, पत्रांक सं0– 2524 / पूविविनिलि (वा) / वाणिज्य / बिलिंग दिनांक 20.06.2024 के माध्यम से अपने कर्मचारियों को प्रत्येक माह ससमय वेतन भुगतान, ई.पी.एफ. / ई.एस.आई. अंशदान का भुगतान जमा कर सूचना डिस्काम एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारियों को उपलब्ध कराये जाने हेतु निरन्तर निर्देशित किया गया, परन्तु बिलिंग एजेन्सी द्वारा अपने कर्मचारियों को ससमय भुगतान नहीं किया गया जिसके कारण बिलिंग कार्य में लगे मीटर रीडरों द्वारा कतिपय वितरण खण्डों / मण्डलों / क्षेत्रों में हड़ताल कर बिलिंग कार्य बाधित किया गया जिसके कारण न केवल बिलिंग की प्रगति प्रभावित हुयी अपितु राजस्व संग्रह पर भी प्रभाव पड़ा।

बिलिंग एजेन्सी के कर्मचारियों द्वारा वेतन का भुगतान एवं ई.पी.एफ. / ई.एस.आई. अंशदान का भुगतान न किये जाने पर बिलिंग एजेन्सी के विरूद्ध विभिन्न जनपदों में प्राथमिकी भी दर्ज करायी गयी। बिलिंग एजेन्सी ने उत्तर में मार्च–2024 तक के समस्त वैधानिक देयों के भुगतान किये जाने का उल्लेख किया, परन्तु सम्बन्धित प्रपत्र / साक्ष्य उत्तर के साथ प्रस्तुत नहीं किये। जिससे स्पष्ट है कि मीटर रीडरों को ई0एस0आई0 / ई0पी0एफ0 भुगतान में संगत अधिनियमों का अनुपालन नहीं किया गया। अतः बिलिंग एजेन्सी का वैधानिक देयों के भुगतान के किये जाने के सम्बन्ध में कथन स्वीकार करने योग्य नहीं है।

(च) **कारण बताओ नोटिस के बिन्दु संख्या 6** के अनुसार बिलिंग एजेन्सी को आर0एफ0पी0 के अनुबन्ध समाप्ति से सम्बन्धित प्रावधान का उल्लंघन किये जाने के सम्बन्ध में आरोपित किया गया है। मेसर्स स्टर्लिंग टेक्नोलॉजीज एण्ड सर्विसेज द्वारा माह जुलाई–2024 की बिलिंग प्रारम्भ होने से मात्र 8 दिन पूर्व पत्र STR/PuVVNL/04/24-58 Date-22.06.2024 प्रेषित करते हुये पू0वि0वि0नि0लि0 द्वारा निर्गत एल0ओ0आई0 सं0 8628/PuVVNL(V.)/Commercial/Date 20.09.2021 के क्रम में दिनांक 13.10.2021 को किये गये अनुबन्ध को एकतरफा समाप्त (Terminate) कर माह जुलाई–2024 की बिलिंग अपने स्तर से कराये जाने हेतु कहा गया जबकि अनुबन्ध के क्लाज सं0 13.10.1.e में प्रावधानित है– ***"In case the Agency intends to terminate the contract for its own reasons, it shall be required to serve an advance notice of 6 months to the Discom."***

अनुबन्ध के अनुसार एजेंसी द्वारा किसी भी कारण से अनुबन्ध को समाप्त किये जाने हेतु, छः माह पूर्व डिस्काम को अग्रिम नोटिस दिया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में कार्यालय पत्रांक 2533/पू0वि0वि0नि0लि0)/वाणिज्य/बिलिंगदिनांक 25.06.2024 के माध्यम से फर्म से अनुबन्ध को समाप्त करने सम्बन्धित पत्र एवं माह जुलाई–2024 में बिलिंग की व्यवस्था अपने स्तर से किये जाने को पूर्णतया अस्वीकार कर बिलिंग कार्य निर्बाध रूप से सम्पादित करने हेतु कहा गया। फर्म को कार्यालय पत्रांक 2534/पू0वि0वि0नि0 लि0)/वाणिज्य/बिलिंग दिनांक 25.06.2024 द्वारा दिनांक 27.06.2024 को एवं पत्रांक 2538/पू0वि0वि0नि0लि0)/वाणिज्य/बिलिंग दिनांक 27.06.2024 द्वारा दिनांक 28.06. 2024 को इस सम्बन्ध में डिस्काम मुख्यालय पर आहूत बैठक में व्यक्तिगत रूप से प्रतिभाग करने हेतु सूचित किया गया। परन्तु फर्म के प्रबन्धक अथवा फर्म के प्रतिनिधि बैठक हेतु डिस्काम पर उपस्थित नही हुये। अन्ततः प्रबन्ध निदेशक, पू0वि0वि0नि0लि0 एवं अन्य अधिकारियों द्वारा बिलिंग एजेन्सी के साथ दिनांक 28.06.2024 को सायं 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से बैठक की गयी। जिसमे फर्म द्वारा प्रेषित अनुबन्ध समाप्ति (TERMINATION) पत्र दिनांक 22.06.2024 पर उनसे पुनर्विचार कर माह जुलाई–2024 की बिलिंग का कार्य सुनिश्चित कराये जाने हेतु पुनः अनुरोध किया गया, जिससे कि आम जनता से जुड़े लगभग 51 लाख विद्युत उपभोक्ताओं की बिलिंग एवं राजस्व प्राप्ति प्रभावित न हो। परन्तु फर्म द्वारा अनुबन्ध समाप्ति से सम्बन्धित पत्र पर पुनर्विचार करने से इन्कार कर दिया गया। फर्म का यह कृत्य पूर्णतः अनुचित एवं अनुबन्ध के प्रावधानों का घोर उल्लंघन है। फर्म को पुनः कार्यालय पत्रांक 2547/पू0वि0वि0नि0 लि0)/वाणिज्य/बिलिंग दिनांक 29.06.2024 द्वारा सूचित किया गया कि अनुबन्ध की समाप्ति से सम्बन्धित प्रावधान के उल्लंघन एवं अनुबन्धीय प्रावधानों के अनुसार दायित्वों, कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों का निर्वहन न किये जाने के कारण उत्पन्न विषम परिस्थिति में, डिस्काम अपने सम्मानित विद्युत उपभोक्ताओं एवं डिस्काम के हितों की रक्षा हेतु किसी भी समय Fall Back Arrangment का सहारा लेने हेतु विवश होगा तथा फर्म के विरूद्ध किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति, फर्म को व्यापार निषिद्ध करने/काली सूची में डालने एवं अन्य विधिक कार्यवाही किये जाने हेतु बाध्य होगा। इस पत्र के सम्बन्ध में फर्म द्वारा कोई भी उत्तर नहीं दिया गया और ना ही माह जुलाई–2024 का बिलिंग कार्य प्रारम्भ किया गया। बिलिंग कार्य बाधित होने के कारण निगम को राजस्व की हानि हुयी, आम जनता को विद्युत आपूर्ति की समस्या हुयी एवं उपभोक्ताओं को ससमय विद्युत बिल न उपलब्ध होने के कारण कारपोरेशन/उ0प्र0 शासन की छवि भी धूमिल हुयी।

उपरोक्त .के सम्बन्ध में बिलिंग एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया :

"We have taken the Clause of 15.8.2 Specification and 5.8.2 of Work Order to terminate the contract in place of 13.10.1.e.The clause says that "The Agreement shall set outspecific events of default that will entitle the other party to terminate the Agreement. The party committing an event of default, which is capable of being remedied, will be given a reasonable opportunity to remedy the default.

We have invoked Clause 15.8.2 of the Specification and Clause 5.8.2 of the Work Order to terminate the contract due to numerous defaults, breaches, and disregard for contractual terms by your concerned departments. These violations have compelled us to terminate Contract13.10.1 under Specification No. MEDCO/2585/2021 and Clause 3.6.1 of the Work Order with the notice no STR/PuVVNL/04/24-58A Dated 22.06.2024. Before the termination notice, we have requested through letter no STR/PuVVNL/04/24-58 Dated 18.06.2024 to follow the terms and conditions of the contract otherwise if you want to stick to the changes of billing day then not to propose penalties on our invoices. If do so that impacts our performance and finances but unfortunately no officer was cared for later so we opted to go for termination to safeguard ourselves."

बिलिंग एजेन्सी का यह कथन कि अनुबन्ध को समाप्त करने हेतु आर0एफ0पी0 के क्लॉज सं0 13.10.1 के स्थान पर आर0एफ0पी0 के क्लॉज सं0 15.8.2 एवं कार्यादेश के क्लॉज सं0 5.8.2 को लिया गया है तथ्यात्मक रूप से पूर्णतः गलत है। फर्म द्वारा पत्र सं0 STR/PuVVNL/04/24-58 Dated 18.06.2024, ई–मेल पर द्विनांक 21.06.2024 को भेजा गया एवं डिस्कॉम से पत्र के जवाब की प्रतीक्षा किये बिना या वार्ता किये बिना तथा 51 लाख उपभोक्ताओं/आम जनमानस को होने वाली किसी भी परिणामी परेशानी/असुविधाओं को पूर्णतः नजरअन्दाज करते हुये, फर्म द्वारा मात्र 1 दिन में एकतरफा निर्णय लेते हुये दिनांक 22.06.2024 को ई–मेल पर पत्र भेजकर अनुबन्ध को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार फर्म द्वारा निविदा विशिष्ट सं0 MEDCO/2585/2021 के क्लॉज सं0 13.10.1.e. का घोर उल्लंघन करते हुये आगामी माह की बिलिंग से मात्र 08 दिन पूर्व अनुबन्ध को एकाएक समाप्त (TERMINATE) कर क्लस्टर–8 में माह जुलाई–2024

से बिलिंग व्यवस्था पूर्वांचल द्वारा अपने स्तर से करने हेतु कहा गया एवं बिलिंग कार्य बन्द कर दिया गया। अनुबन्ध की विशिष्टि के क्लॉज 15.8.2 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि किसी भी पार्टी के द्वारा Default किये जाने की स्थिति में, जो कि दूर किया जा सकता है, Default को दूर करने हेतु प्र्याप्त अवसर दिये जायेंगे। तदानुसार बिलिंग फर्म द्वारा बिलिंग एवं कलेक्शन कार्य करने तथा अनुबन्ध के नियम एवं शर्तों के अनुसार कार्य न करने से सम्बन्धित Defaults से अवगत कराते हुये उन्हे दूर करने हेतु फर्म को पर्याप्त अवसर प्रदान किये गये। किन्तु फर्म द्वारा अनुबन्ध के प्रावधान के अनुसार 6 माह का पर्याप्त समय नहीं दिया गया। जोकि बिलिंग एजेन्सी द्वारा अनुबन्ध की समाप्ति से सम्बन्धित प्रावधान 'आर0एफ0पी0 क्लॉज सं0 13.10.1.e' ,जिसमें एजेंसी द्वारा किसी भी कारण से अनुबन्ध को समाप्त किये जाने हेतु, छः माह पूर्व डिस्काम को अग्रिम नोटिस दिया जाना आवश्यक है, का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः बिलिंग एजेन्सी का अनुबन्ध समाप्ति के सम्बन्ध में दिया कथन स्वीकार करने योग्य नहीं है।

(छ) **कारण बताओ नोटिस के बिन्दु संख्या 7** के अनुसार आर0एफ0पी0 के क्लाज सं0 15.10.1 में Fall Back Arrangement के प्रावधान के अन्तर्गत ***"Provision shall be made in the Agreement that in the event of failure of the agency to fulfil its obligations, duties and responsibilities as per the Agreement terms, DISCOM shall have the right, at any time to resort to a fall back arrangement. Under this plan, DISCOM shall take charge of all facilities, resources and systems whether in operation or under execution after giving suitable notice as provided in the Agreement and can recover from the security deposit and from the unpaid invoices the losses suffered due to such failure. If the security deposit is insufficient, the agency shall pay the difference to the DISCOM.The DISCOM shall have the right in such circumstances to manage the system itself after taking the charge of the facilities as above or through any other agency as it may deem fit and no claim of the Agency for compensation in this respect shall be entertained."***

मेसर्स स्टर्लिंग द्वारा अनुबन्धीय प्रावधानों के अनुसार दायित्वों, कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों का निर्वहन न किये जाने के कारण उक्त प्राविधान के अन्तर्गत बिलिंग कार्य हेतु अन्य एजेन्सी की सेवायें लेने के लिये विवश होना पड़ रहा है, जिससे निगम पर अतिरिक्त वित्तीय भार आयेगा। जिसकी क्षतिपूर्ति एवं निगम को होने वाली किसी भी प्रकार की अन्य क्षति की प्रतिपूर्ति फर्म से की जानी है।

उपरोक्त .के सम्बन्ध में बिलिंग एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया :

"You can not enforce clause 15.10.1 on our contract, as it was terminated due to various breaches by your department. Additionally, you invoked and encashed the performance guarantee without providing us any notice, further highlighting this issue. For these reasons, clause 15.10.1 cannot be enforced."

" Reasons for not enforcing the clause15.10.1:

i. *The CMD of UPPCL held a general meeting on billing performance on December 20, 2024, where it was suggested that the billing period be reduced from 28 days to 22 days for reasons explained during the discussion. Our company representative strongly objected to this reduction, citing potential negative repercussions on field operations and billing percentages. Despite our concerns, the CMD's plan was implemented when billing was abruptly halted at midnight on January 23, 2024, of January Billing.We request you to show any clause that emancipating a higher officer can amend the clauses of our agreement unilaterally.*

We promptly submitted a request letter (No. STR/PuVVNL/01/24-C22, dated January 24, 2024), urging that no changes be made to the billing period, as such changes could adversely affect both billing percentages and probe billing targets.Unfortunately, our appeal was disregarded, and the new billing period was implemented starting with the January billing cycle. This change has significantly impacted the billing and probe targets set for each month.

It's worth noting that we completed billing for December up to the 29th, and accordingly, paid salaries and statutory dues based on this calculation. We received 70% of the invoice payment for December without any deductions, indicating that billing data up to the 29th was accepted. However, when it came to the remaining 30% payment, the billing was inexplicably considered only up to December 22nd. This discrepancy was brought to our attention through letter No. 983/CE (V) Billing, dated April 10, 2024.

In response, we submitted another request letter (No. STR/PuVVNL/14/24-25, dated June 14, 2024), urging reconsideration of the billing data up to December 28th. We highlighted that this issue not only breaches Contract Clause No. 8.2.1 but also results in substantial financial losses for us. Despite our efforts, our plea was ignored, and your department continued to act according to its own agenda. We

received the minutes of this meeting on this matter via email on June 29, 2024, only after we had already terminated the contract.

ii. *Clause **no 8.2.1 (b)** of tender specification reveals, "In case of consumers where meter reading was successfully downloaded in the preceding months, either before award of contracts or during the term of the contract, that meter shall be treated as downloading compatible meter and will be part of downloading target."*

The clause in question clearly stipulates that the billing target for the initial month of the contract should be based solely on the number of consumers previously billed under the probe by the earlier agency or the previous contract. Essentially, the combined number of consumers covered in the probe under the previous contract should serve as the target for the first six months of our contract.

However, in our case, the target set for the initial month was significantly higher than the number of consumers covered in the earlier contract. This discrepancy placed an unreasonable burden on us from the outset. We promptly requested that the target be revised to align with the actual probe billing figures from the prior contract, ensuring fairness and consistency. Unfortunately, our appeals were ignored by your department.

As a result, we faced heavy penalties from January 2022 to August 2022, despite our efforts to meet the inflated targets. These penalties were imposed unjustly, given that the original contractual agreement was not honored. The situation has caused considerable financial strain and operational challenges for our team.

iii. ***Clause8.2.4** of tender specification uncovers "After completion of 6 months or upon removal of 100% exceptions as defined above, the monthly target for meter reading by downloading will be decided by the respective DISCOMS"*

This clause specifies that the target should be set by DISCOM only after six months of the contract period or once 100% of exceptions are resolved. However, the target was unexpectedly doubled in March, compared to February, without considering the contract's terms and conditions. This sudden increase in quantities for target violation of the agreed-upon contract, and as a result, we received heavy penalties, January to August month invoices, by your concerned department due to imposed penalties on our invoices, a breaching the contractual agreement.

iv. ***Clause-8.5.3 of Tender Document and Clause-1.4.2 of Work Order:***

"Discom will provide the billing database to the agency by the 3rd of every month for off- Linebilling and from by 2nd of every month for real-time billing.The agency shall ensure that all meter readings and bill distribution are completed up 28th day of the month (by 26th in the February month). If the agency fails to achieve the same, the payment against the billing, will be restricted to the no. of readings done by the agency till 2 days before the end of the month."

The core issue at hand revolves around the shortening of billing periods from 28th-day billing to 22-day billing days and the strict enforcement of penalties, with no leverage on penalty clause, on our invoices. This inconsistency has caused considerable distress and resulted in significant financial losses for us. The frequent changes in billing dates, coupled with the uncompromising application of penalties, have created an unpredictable environment that severely impacts our financial stability. The lack of flexibility and understanding in this process has not only strained our operations but has also led to heavy losses, putting undue pressure on our resources.

v. ***4.1.3(Payment of Invoices,Incentives and Penalties) of Work Order:***

"Monthly bills shall be raised by the agency to the concerned Chief Engineer (Distribution) of Discom HQ annexing the monthly report (MIS), after incorporating the performance-based criteria in SLA by 7th working day of the next month.The Agency will also send a copy of the invoice to the concerned Division's Executive Engineer.

4.1.4 (Payment of Invoices, Incentives and Penalties) of Work Order: *The Discom shall release payment equivalent to 70% of invoice value as mentioned in clause 4. 1.2 & 4.1.3 to the Agency within 7 days from the date of submission of bills/invoices by the agency.*

The 4.1.6 clause liberates, "The balance 30% payment against the monthly invoice shall be released on verification of invoices by discom and after deductions/ withheld of applicable amounts within 30 days of the submission of complete invoices along with the SLA report"

A letter no STR/PuVVNL/03/24-42 Dated 10.03.2024, stated that to pay the 30 percent pending from September to February. As per clause 4.1.6 the payment of 30% to pay within 30 days but never respected the clause by the commercial department to pay us leads to financial losses and suffering in reaching the target by managing the employees.

However, your department has consistently failed to adhere to these terms. Despite the clear guidelines outlined in the contract,a significant portion of the payments ,specifically 70% of the invoices, has been

pending since the April invoice was submitted. Additionally, the remaining 30% of the payment has been outstanding since theNovember invoices onwards.

This disregard for the agreed payment schedule has caused considerable strain on our financial operations. The absence of timely payments is not just a breach of our contractual agreement,but it also disrupts our cash flow and hinders our ability to manage ongoing commitments effectively. Moreover, there has been a complete lack of communication from your side regarding these delays. Despite the overdue payments, there has been no correspondence or expression of interest in resolving the issue or ensuring that the outstanding amounts are paid. This silence only exacerbates the situation, leaving us uncertain about when, if ever, these payments will be made.

vi. *The* ***3.6.2*** *clause emancipates "In the event the discom terminates the contract in the whole or part due to non-performance, the performance security (cash/bank guarantee) submitted by the firm/supplier shall be forfeited."*

We submitted letter No STR/PuVVNL/02/24-25 Dated 20.02.2024 on the subject of reply to the demand of the additional Performance Guarantee and requested to give the data incremental to match the security as per clause No 13.6, to that extent but your department never bothered to present and, in the VC, meeting held on 29.06.2024, they categorically stated that the November month 30 % adjusted towards the Performance Guarantee.

Your department has encashed FD pledged for the security, deposit No 709013309055 an amount of Rs 2,57,56,066.00 from RBL Bank, and invoked the bank guarantee (BG) No 10180100000022 an amount of Rs 24,58,376.00 from Axis Bank in contravention of the stipulated contractual clause. This action not only breaches our agreement but also undermines the trust and integrity essential to our partnership. Such unilateral decisions, taken without proper justification or adherence to the agreed terms, are concerning and warrant immediate attention.

vii. ***Clause-13.10.2 of Tender Document and 3.6.2 of Work Order:***

According to the contract terms, if Discom terminates the agreement wholly or partially due to non-performance, the firm's Performance Security (whether in cash or as a bank guarantee) may be forfeited. However, in our situation, it was we who initiated the contract termination, not your department. Therefore, the encashment of our Performance Security is unjustified and violates the agreed-upon terms. This action has adversely affected our financial standing and reputation with our banking partners.

Furthermore, your officer has demanded interest from RBL Bank on the fixed deposit provided as security, amounting to ₹25,756,066.00. This demand further illustrates a disregard for the contractual

obligations and conditions established between our parties. Such actions not only breach the contract but also undermine the trust and professionalism expected in our business relationship.
Hence,it is informed to you to follow the procedure in strict adherence to the work reader terms and conditions for not to invite this type of situation."

बिलिंग एजेन्सी का यह कथन कि डिस्काम द्वारा आर0एफ0पी0 के क्लॉज सं0 15.10.1 Fall Back Arrangement को लागू नही किया जा सकता है स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि जबकि बिलिंग एजेन्सी द्वारा अनुबन्ध की समाप्ति से सम्बन्धित प्रावधान का स्पष्ट उल्लंघन करते हुये आगामी माह की बिलिंग प्रारम्भ किये जाने से मात्र 8 दिन पूर्व अनुबन्ध को एकाएक समाप्त कर दिया गया। बिलिंग एजेन्सी से कई बार अनुरोध किये जाने पर भी बिलिंग कार्य प्रारम्भ न किये जाने के कारण उत्पन्न आपातकालीन परिस्थिति में डिस्काम द्वारा बिलिंग एजेन्सी को पत्रांक 2547/पू0वि0वि0नि0लि0(वा)/वाणिज्य/बिलिंग दिनांक 29.06.2024 के माध्यम से नोटिस दिया गया कि –"अनुबन्ध की समाप्ति से सम्बन्धित प्रावधान के उल्लंघन एवं अनुबन्धीय प्रावधानों के अनुसार दायित्वों, कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों का निर्वहन न किये जाने के कारण उत्पन्न विषम परिस्थिति में डिस्काम अपने सम्मानित विद्युत उपभोक्ताओं एवं डिस्काम के हितों की रक्षा हेतु किसी भी समय Fall Back Arrangement का सहारा लेने हेतु विवश होगा तथा फर्म के विरूद्ध किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति, फर्म को व्यापार निषिद्ध करने, फर्म को काली सूची में डालने एवं अन्य विधिक कार्यवाही किये जाने हेतु बाध्य होगा"। तदोपरान्त अनुबन्ध/आर0एफ0पी0 के क्लॉज सं0 15.10.1 के प्रावधानानुसार Fall Back Arrangement के अन्तर्गत डिस्काम द्वारा बिलिंग की निरन्तरता एवं राजस्व हानि से बचाव हेतु बिलिंग सम्बन्धित कार्य हेतु अन्य एजेन्सी को नियुक्त किया गया तथा इस पर आने वाले अतिरिक्त व्यय की क्षतिपूर्ति एवं अनुबन्ध समाप्ति के प्रावधान का उल्लंघन करने के दृष्टिगत बिलिंग एजेन्सी के द्वारा जमा की गयी परफार्मेन्स सिक्योरिटी को जब्त किया गया। अतः बिलिंग एजेन्सी का Fall Back Arrangement के प्रावधान को लागू न किये जाने से सम्बन्धित कथन स्वीकार योग्य नहीं है। क्योकि डिस्कॉम के पास अपने सम्मानित उपभोक्ताओं को होने वाली असुविधा एवं डिस्कॉम को राजस्व हानि से बचाने के लिये अन्य कोई विकल्प नहीं था।

बिलिंग एजेन्सी द्वारा संपादित किये जा रहे कार्यो की समीक्षा एवं उससे सम्बन्धित समस्याओं पर चर्चा हेतु पू0वि0वि0नि0लि0 द्वारा आहूत बैठकों में विभिन्न पत्रों के माध्यम से निरन्तर बुलाये जाने के बाद भी बिलिंग एजेन्सी के शीर्ष प्रबन्धन के किसी भी अधिकारी द्वारा विगत कई माह से व्यक्तिगत रूप से बैठक में प्रतिभाग नहीं किया गया। जोकि बिलिंग एजेन्सी के शीर्ष प्रबन्धन की बिलिंग जैसे अतिमहत्वपूर्ण कार्य के प्रति घोर उदासीनता को प्रकट करता है। फलस्वरूप बिलिंग एजेन्सी द्वारा बिलिंग कार्य में लगे अपने क्षेत्रीय कर्मचारियों/मीटर रीडरों द्वारा किये जा रहे कार्यो का नियमित एवं समुचित रूप से अनुश्रवण कर बिलिंग में सुधार हेतु अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गयी। अनुबन्ध के प्रावधानो तथा नियम एवं शर्तो के अनुसार बिलिंग एजेंसी के बीजकों के सापेक्ष पैनाल्टी अधिरोपित की गयी।

9– बिलिंग एजेन्सी द्वारा यह ज्ञात होते हुए भी कि उनके द्वारा प्रदेश के काफी वृहद क्षेत्र के अन्तर्गत बिलिंग एवं कलेक्शन का कार्य किया जा रहा है, जिसे बाधित करने से कारपोरेशन को राजस्व की हानि के साथ–साथ उपभोक्ताओं को ससमय विद्युत बिल न उपलब्ध होने के कारण आम जनमानस को परेशानी उठानी पडेगी एवं आम जनमानस में कारपोरेशन/उ0प्र0 शासन की छवि धूमिल होगी बिलिंग कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप उत्पन्न विषम परिस्थिति में डिस्काम को बिलिंग की निरन्तरता बनाये रखने हेतु एवं उपभोक्ताओं को कोई समस्या उत्पन्न न हो आर0एफ0पी0 के क्लॉज सं0 15.10.1 Fall Back Arrangement के प्रावधानानुसार क्लस्टर–8 में बिलिंग एवं कलेक्शन के कार्य हेतु अन्य एजेन्सी को नियुक्त करना पड़ा।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि मेसर्स स्टर्लिंग टेक्नोलॉजीज एण्ड सर्विसेज द्वारा अनुब्ध के प्रावधानों के प्रतिबन्धों/उप–प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया गया जिसके कारण बिलिंग कार्यो के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका एवं फर्म के कार्मिकों के गलत आचरण के कारण आम जनता को परेशानी उठानी पड़ी व उपभोक्ताओं में विभाग की छवि भी धूमिल हुई। साथ ही यह स्पष्ट है कि फर्म को कार्य प्रणाली में सुधार हेतु निर्देशित किये जाने एवं उनका पक्ष सुने जाने हेतु समुचित समय दिये जाने के उपरान्त भी फर्म मेसर्स स्टर्लिंग टेक्नोलॉजिज एण्ड सर्विसेस की कार्य प्रणाली एवं अनुबन्ध के प्रतिबन्धों/उप–प्रतिबन्धों के अनुपालन में सुधार परिलक्षित नहीं हुआ। मेसर्स स्टर्लिंग द्वारा आम जनता से जुड़े एवं राजस्व की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण बिलिंग कार्य के अनुबन्ध को एकाएक समाप्त कर बिलिंग कार्य को बन्द कर देना न केवल अनुबन्धीय प्रावधानों के स्पष्ट उल्लंघन अपितु कार्य के प्रति घोर लापरवाही तथा अत्यन्त गैर जिम्मेदाराना एवं मनमाने रवैये को प्रदर्शित करता है।

पू0वि0वि0नि0लि0, वाराणसी द्वारा निर्गत कारण बताओ नोटिस के सम्बन्ध में फर्म द्वारा प्रस्तुत किये गये उत्तरालेख का अनुबन्धीय प्रावधानों एवं बिलिंग प्रणाली से उद्भूत आकड़ो के अनुसार किये गये विश्लेषण से स्पष्ट है कि मैसर्स स्टर्लिंग टेक्नोलॉजी एण्ड सर्विसेज द्वारा अनुबन्ध के प्राविधानों के प्रतिबन्धों/उप-प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया गया जिसके कारण बिलिंग कार्यो के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका तथा फर्म के कार्मिकों की लापरवाहीपूर्ण कार्यप्रणाली के कारण आम जनता को असुविधा हुयी व उपभोक्ताओं में विभाग की छवि भी धूमिल हुई। साथ ही यह स्पष्ट है कि फर्म को उसकी कार्यावधि के दौरान कारपोरेशन, डिस्कॉम एवं वितरण क्षेत्रों द्वारा कार्य प्रणाली में सुधार हेतु दिये गये निर्देशों एवं पूर्ण सहयोग के उपरान्त भी फर्म मैसर्स स्टर्लिंग टेक्नोलाजी एण्ड सर्विसेज द्वारा बिलिंग एवं कलेक्शन सम्बन्धित कार्यो में सुधार नही किया गया अपितु अनुबन्ध समाप्ति (TERMINATION) के प्राविधान का घोर उल्लंघन कर एकाएक माह जून-2024 से बिलिंग एवं कलेक्शन कार्य बन्द किये जाने से कारपोरेशन को राजस्व हानि के साथ-साथ उपभोक्ताओं को ससमय विद्युत बिल न उपलब्ध होने के कारण आम जनमानस में कारपोरेशन/उ0प्र0 शासन की छवि धूमिल हुयी तथा उक्त विषम परिस्थिति में, डिस्काम को सम्मानित विद्युत उपभोक्ताओं एवं डिस्काम के हितों की रक्षा हेतु अनुबन्ध के Fall Back Arrangement के अन्तर्गत आपातकालीन स्थिति में अन्य एजेंसी को बिलिंग कार्य हेतु नियुक्त करना पड़ा जिससे डिस्काम पर अतिरिक्त वित्तीय भार (लगभग रू0 8.50 करोड, कर अतिरिक्त) आयेगा। जिसकी क्षतिपूर्ति एवं निगम को होने वाली किसी भी प्रकार की अन्य क्षति की प्रतिपूर्ति फर्म से की जायेगी।

यद्यपि फर्म की कार्यावधि में उनके विरुद्ध अनुबन्ध के प्राविधानों तथा नियम एवं शर्तो के अनुसार वित्तीय दन्डात्मक कार्यवाही की गयी है किन्तु उपरोक्त तथ्यों एवं विश्लेषणों से स्वतः स्पष्ट है कि फर्म की कार्य प्रणाली में सुधार परिलक्षित नहीं हुआ तथा फर्म द्वारा अनुबन्ध समाप्ति (TERMINATION) के प्राविधान का घोर उल्लंघन कर, आगामी माह की बिलिंग से मात्र 08 दिन पूर्व अनुबन्ध को एकतरफा समाप्त (TERMINATE) करते हुये डिस्कॉम के वृहद क्षेत्र के लगभग 51 लाख विद्युत उपभोक्ताओं के बिलिंग एवं कलेक्शन कार्य को एकाएक बन्द कर दिया गया जिससे कारपोरेशन को राजस्व हानि के साथ-साथ उपभोक्ताओं को ससमय विद्युत बिल न उपलब्ध होने के कारण आम जनमानस में कारपोरेशन/उ0प्र0 शासन की छवि धूमिल हुयी। जिसके दृष्टिगत निगम हित में फर्म द्वारा भविष्य में भौतिक व वित्तीय हानि से बचाव हेतु मेसर्स स्टर्लिंग टेक्नोलॉजिज एण्ड सर्विसेज # 3जी, एस0वी0एम0 प्लाजा, पद्मावतिपुरम तिरूपति, आन्ध्र प्रदेश को इस कार्यालय ज्ञाप के निर्गत होने की तिथि से आगामी 03 (तीन) वर्षो की अवधि के लिये काली सूची में डाला जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें।

अध्यक्ष

संख्या : 2788 पूविविनिलि(वा)/वाणिज्य/बिलिंग तद्दिनांक 01-10-2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पूर्वांचल-वाराणसी/मध्यांचल-लखनऊ/पश्चिमांचल-मेरठ/दक्षिणांचल-आगरा एवं केस्को लि0-कानपुर।
4. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. निदेशक (वाणिज्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)/(वाणिज्य)/(वित्त)/(तकनीकी), पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी।
7. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य), पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी।
8. मुख्य अभियन्ता (वितरण क्षेत्र), पूविविनिलि-प्रयागराज क्षेत्र-1/2, मिर्जापुर क्षेत्र एवं वाराणसी क्षेत्र-1/2।
9. सयुक्त सचिव (कार्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. मेसर्स स्टर्लिंग टेक्नोलॉजिज एण्ड सर्विसेज # 3जी, एस0वी0एम0 प्लाजा, पद्मावतिपुरम तिरूपति, आन्ध्र प्रदेश।

आज्ञा से,

(ब्रजेश कुमार)
अधीक्षण अभियन्ता (वाणिज्य)